



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 20 जनवरी, 2026

पौष 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या यूओ-15/छ:-पु0-9-2025-1862153

लखनऊ, 20 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ0-18

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 265 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक, धारा 266 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक, और धारा 308 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और अभियोजन और बचाव पक्ष के साक्षियों की मुख्य परीक्षा, प्रति-परीक्षा और पुनः परीक्षा ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से संचालित कराने के उद्देश्य के अग्रसरण में राज्यपाल इसके अधीन विनिर्दिष्ट स्थानों को, जहाँ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधाएँ सम्यक रूप से स्थापित की गयी हैं और वर्तमान में क्रियाशील हैं, को विधि के पूर्वोक्त उपबंधों के प्रयोजनार्थ "अभिहित स्थान" के रूप में अधिसूचित करते हैं:

(एक) सभी भारतीय दूतावास/भारत के उच्चायोग;

(दो) राज्य में स्थित समस्त न्यायालय परिसर;

(तीन) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का न्यायालय;

(चार) मध्यस्थता केंद्र या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय;

(पाँच) अभियोजन निदेशालय के जिला कार्यालय;

(छः) जेल या कारागार;

(सात) पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह, आश्रय गृह या बाल सुविधा के रूप में निर्दिष्ट कोई संस्था;
(आठ) महिला बचाव गृह, संरक्षण गृह, आश्रय गृह, नारी निकेतन या महिला सुविधा के रूप में निर्दिष्ट कोई संस्था;

(नौ) जिला कलेक्ट्रेट;

(दस) राज्य सरकार के सेवारत/पूर्व लोक सेवकों के लिए सभी विभागों के राज्य-स्तरीय मुख्यालय;

(ग्यारह) राज्य सरकार के सेवारत/पूर्व लोक सेवकों के लिए उत्तर प्रदेश भवन चाणक्यपुरी, नई दिल्ली;

(बारह) पुलिस में कार्यरत/कार्यरत रहे अधिकारियों/कार्मिकों के लिए पुलिस महानिरीक्षक का क्षेत्रीय/जोन कार्यालय, जिला पुलिस लाइनें और समस्त पुलिस थाना;

(तेरह) मरीजों और उनके परिचारकों के अलावा डॉक्टरों/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी/चिकित्सा कर्मचारिवृंद के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन समस्त केंद्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र;

(चौदह) न्यायालयिक प्रयोगशालाओं में कार्यरत/कार्यरत रहे अधिकारियों/कार्मिकों के लिए न्यायालयिक प्रयोगशालाएं (राज्य मुख्यालय और क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं);

(पन्द्रह) राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की मुख्य/प्रमुख जिला-स्तरीय शाखाएँ;

(सोलह) जहां कोई अपेक्षित व्यक्ति बीमारी या शारीरिक अंग शैथिल्य के कारण कोर्ट पॉइंट या अभिहित स्थान पर पहुँचने में असमर्थ है, अथवा जहां ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति अनुचित विलम्ब या अधिक खर्च के बिना सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो न्यायालय उस स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही संचालित करने की अनुमति दे सकता है, जहाँ ऐसा व्यक्ति अवस्थित है, परन्तु यह कि उस स्थान पर एक पोर्टेबल या अन्य समुचित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम क्रियाशील हो और लागू एवं प्रचलित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के अधीन यथाविहित समस्त सुरक्षा और प्रक्रियात्मक रक्षोपाय को सम्यक् रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

2-सम्बन्धित विभाग का प्रमुख उपर्युक्त प्रत्येक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों/सुविधाओं की स्थापना, अनुरक्षण और सुचारु रूप से कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों/सुविधाओं वाले अभिहित स्थान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2020 (यथासंशोधित) के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O.-15/VI-Pu-9-2025-1862153, dated January 20, 2026:

No. U.O.-15/VI-Pu-9-2025-1862153

Dated Lucknow, January 20, 2026

In exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (3) of Section 265, second proviso to sub-section (2) of Section 266 and Section 308 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023), and in furtherance of the objective of conducting the examination-in-chief, cross-examination and re-examination of prosecution and defence witnesses through audio-video electronic means, the Governor is pleased to notify the places specified hereunder, wherein video-conferencing rooms/facilities have been duly established and are presently operational, as "designated places" for the purposes of the aforesaid provisions of law:

- (i) All Indian Embassy/ High Commission of India;
- (ii) All Court premises situated in the State;
- (iii) Court of another State or Union Territory within the territory of India;
- (iv) Mediation Centre or office of District Legal Services Authority;
- (v) District offices of Directorate of Prosecution;
- (vi) Jail or prison;
- (vii) Observation Home, Special Home, Children's Home, Shelter Home or any institution referred to as a child facility;
- (viii) Women's Rescue Homes, Protection Homes, Shelter Homes, Nari Niketans or any institution referred to as a women's facility;
- (ix) District Collectorates;
- (x) State-level headquarters of all departments for serving/former public servants of the State Government;
- (xi) Uttar Pradesh Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi for serving/former public servants of the State Government;
- (xii) Regional/Zonal office of the Inspector General of Police, district police lines and all police stations for officers/personnel working/having worked in the police;
- (xiii) All Central or State Government or local bodies medical colleges, district hospitals and community health centers under the Department of Medical Education and Department of Medical Health and Family Welfare for doctors/registered medical practitioners/medical staff besides patients and their attendants;
- (xiv) Forensic Science Laboratories (State Headquarters and Regional Laboratories) for officers/personnel working/having worked in forensic science laboratories;
- (xv) Main/Lead district-level branches of State Government-owned banks and nationalized banks;
- (xvi) Where a required person is unable to reach the Court Point or the designated place due to illness or physical infirmity or where securing such person's presence cannot be ensured without undue delay or excessive expense, the Court may permit conducting of proceedings through video conferencing from the place where such person is located, provided that a portable or other appropriate video conferencing system is operational at that location and all security and procedural safeguards as prescribed under the applicable and prevailing Video Conferencing Rules can be duly ensured.

2. The head of the respective department will be responsible for the establishment, maintenance, and smooth functioning of each of the above video conferencing rooms/facilities.

3. Designated locations with video conferencing rooms/facilities shall comply with the provisions of the Video Conferencing Rules, 2020 (as amended).

This notification shall come into force with immediate effect.

By order,
SANJAY PRASAD,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-९०पी० 358 राजपत्र-2026-(1057)-599+50=649 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।